

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं जिला जयपुर

महारेव

बनाम का मुराया

मुकदमा संख्या- 50/2022

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

15/07/22

पत्रावली पेश हुई न्यायालय  
का खमत्र समाप्त होने तक कार-  
वार आवाज दिया भी नहीं। कलक्टर  
प्राथमिक न्यायालय के कलक्टर के द्वारा  
हो अतः पत्रावली अलग धरणी  
अलग धरणी में खारिज की जाती है  
पत्रावली दर्ज नाम्बर से कम होकर  
दाखिल इ. अतः

सहायक कलक्टर  
चौमूं (जयपुर)

थना पत्र  
देव पुत्र  
जिला

काल  
पुर  
म